INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

19 OCT 2004

कोषाधिकारी

03DD 983369

विक्रय पत्र अंकन 97,88,064/- रुपये का -

स्टाम्प अंकन 78,900/- रुपये का -

विक्रय भूमि का विवरण – कृषि भूमि रकबई 3.370 एकड़ अर्थात [illegible] हेक्टेयर स्थित ग्राम [illegible] हद्दा परगना [illegible] तहसील [illegible] व जिला [illegible] उत्तर प्रदेश । जिस भाग [illegible] विक्रय कृषि भूमि [illegible] विक्रय है उपरोक्त भूमि पर कुल भूमि [illegible] 30/- रुपये 65 पैसे सालाना है जो कि कृषि भूमि है व

गौरव

②

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

कार्याल

19 OCT 2004

मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983407

भूमि हेतु क्रेता का विक्रय हेतु मनोज के मध्य बिन्दु से हटकर 500 मीटर से अधिक दूरी पर है । सरकारी कृषि भूमि दर 9,00,000/- रुपए प्रति एकड़ है, जबकि स्टाम्प इसमें अधिक के हिसाब से विक्रय कृषि भूमि की बनी कीमत उपरोक्त पर नियमानुसार अदा किया गया है जो कि निर्धारित दर से अधिक पर अदा है ।

बैनामा में नक्शा नजरी संलग्न है ।

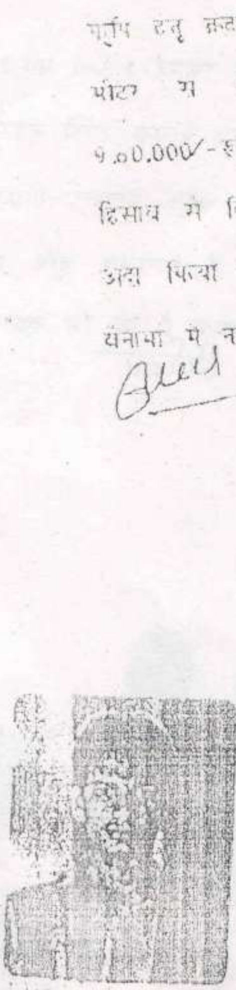

(3)

INDIA NON JUDICIAL

₹ 25000

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपए

कार्यालय ... 25000 ... 19 OCT 2004 ... उप कोषाधिकारी

03DD 983406

हम कि श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री साधु राम व गौरव व सौरव (दोनों बालिगान) पुत्रगण स्व श्री सुभाष चन्द व श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व0 श्री सुभाष चन्द बजात खुद व माता एकौकी व संरक्षिका आर व अभिलाष नाबालिग पुत्र स्व0 श्री सुभाष चन्द निवासीगण ग्राम टुंडा हेडा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद प्रथमपक्ष विक्रेतागण । जिन्हे आगे चलकर विक्रेतागण कहा गया है ।

गौरव सौरव निर्मला

वीरेन्द्र ... एडवोकेट
सिविल कोर्ट, गाजियाबाद

3

(9)

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

19 OCT 2004

मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983405

एवं मैसर्स एरी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, बी-47, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा श्री धनानन्द वशिष्ठ पुत्र श्री टेकराम वशिष्ठ अथॉराईज्ड सिगनेट्री कम्पनी उक्त द्वितीयपक्ष होगा। जिन्हें आगे खरीदार क्रेता कहा गया है।

इस बैनामें में विक्रेतागण व क्रेता कम्पनी के समस्त उत्तराधिकारी एवं वैधानिक व न्यायिक प्रतिनिधिगण आदि सम्मिलित समझे जावेंगे।

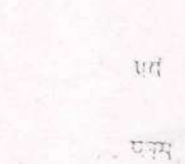

निरंजन पाल सिंह
पदवीकोष
सिविल कोर्ट गाजियाबाद

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

कार्यालय ...

19 OCT 2004

मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983404

विदित हो कि कृषि भूमि रकबई 3.370 एकड़ अर्थात 1.364 हेक्टेयर सम्बंधित खाता खतौनी नम्बर-614 खसरा नम्बर-1029/1 मि0 रकबई 0-13-15 पुख्ता अर्थात 0.173 हेक्टेयर, व खाता खतौनी नम्बर-621

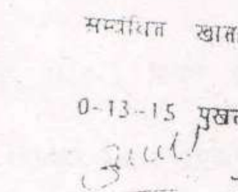

(6)

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

Rs. 25000

0300 983403

कार्या...

19 OCT 2004

...कोषाधिकारी

[illegible] नम्बर 1056/1 रकबई 3-6-14 पुख्ता अर्थात 0.644 हेक्टेयर

[illegible] खसरा नम्बर-113 खसरा नम्बर-720 मि0 रकबई 1-7-10 पुख्ता

अर्थात 0.[illegible] हेक्टेयर कुल योग नम्बरान-3 रकबई 1.364 हेक्टेयर

गौरव [illegible] मिश्रा

(7)

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

25000

19 OCT 2004

मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983402

स्थित ग्राम डूंडा हेड़ा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद

(उत्तर प्रदेश) के प्रथमपक्ष विक्रेतागण मालिक काबिज व संक्रमणीय

भूमिधर भूस्वामी है जो आज दिन तक विक्रेतागण की ओर से दर

(8)

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

25000

03DD 983401

19 OCT 2004

मुख्य कोषाधिकारी

प्रकार के बंधक भार सरकारी दुकानों व अन्य लोन आदि आदि से मुक्त है. कहीं अन्य जगह आद. रहन, बय, हिब, महायदावय आदि आदि में फंसा नहीं है। निम्नलिखित विक्रेतागण मे किसी प्रकार का

03DD 983400

कोई दाग व त्रुटि नहीं है, हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है ।

हम सर्वश्री जगदीश गौरव व सौरभ को स्वयं व मुझ श्रीमती

निर्मला देवी को स्वयं व अपने नाबालिग पुत्र अभिलाष की ओर से

(10)

09 OCT

[illegible] क्रय कोषाधिकारी

03DD 983399

[illegible] सरंक्षिका व माता हकोंमो को लिखत से विक्रय

[illegible] पूर्ण अधिकार है । एवं इस बनाम का अपने नाबालिग पुत्र [illegible]

(11)

25000 Rs. 25000 Rs. 25000 Rs. 25000 Rs. 25000

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

RUPEES 25000 रुपये 25000

25000 Rs. 25000 Rs. 25000 Rs. 25000 Rs. 25000

19 OCT

मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983398

के हित को दृष्टिगत रखते हुए निस्तारण किया गया है । अतः हम विक्रेतागण ने अपनी खुशी व रजामन्दी शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों के साथ बिना किसी डर दबाव व बहकाव के प्रभावित होते हुए मर्जे

गौरव ओझा निर्मल

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

19 OCT 2004

मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983397

तमाम हक हकूक मालिकान दाखिल खारिज हर किस्म मय कब्जा

आदि और जो भी उक्त भवन के स्वयं प्राप्त सभी अधिकारों सहित

गौरव और निर्मल

कार्यालय
गाजियाबाद
19 OCT 2004
मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983396

आज की तारीख में बदले अंकन 97,88,064/-रूपये (सत्तानवे लाख अठासी हजार चौंसठ रूपये) आधे जिसके अंकन 48,94,032/-रूपये (अड़तालिस लाख चौरानवे हजार बत्तीस रूपये) होते हैं, मैं बहक.

सुशीला गौरव [illegible] निर्मला

[illegible]

(14)

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

03DD 983395

19 OCT 2004

[illegible] कोषाधिकारी

[illegible] [illegible] उपरोक्त को विक्रय कर दिया है और यह [illegible] है

[illegible] [illegible] विक्रय धनराशि 97,88,064/-रुपये को [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] 48,94,032/-रुपये पंचकत पैमाना निम्नवत [illegible] [illegible]

19 OCT 2004
मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983394

ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त कर ली है, जिसका विवरण इस प्रकार है । निम्न

रूप बैंक ड्राफ्ट

धनराशि	ड्राफ्ट नम्बर	दिनांक
16,31,344/-रुपया	043144	18-10-2004

(16)

मुख्य कोषाधिकारी

0300 983393

[illegible] रुपये	043145	18-10-2004
[illegible] रुपये	043146	18-10-2004
[illegible] रुपये	043147	18-10-2004

[illegible] गौरव [illegible] निर्मला

03DD 983392

[illegible].07,830/- रुपये	043148	18-10-2004
8.15.672/- रुपये	043472	20-10-2001
[illegible].03,970/- रुपये	043173	20-10-2001

कार
... कोषाधिकारी

03DD 983390

है तत्काल भुगतान का प्रत्याशा में और निम्नवत पच्चीस प्रतिशत

पर्याप्त अंकन 24.07.016/ रूपया बेनामा निष्पादन के दिनांक से तीन

(19)

कार्यालय ... कोषाधिकारी

03DD 983389

मात्र उपरान्त के दिनांकित निम्नवत दस चेकों द्वारा प्राप्त कर ली है ।

धनराशि	चेक संख्या	दिनांक
8,15,672/- रुपये	477115	19-01-2005
2,03,918/- रुपये	477117	19-01-2005 /
2,03,918/- रुपये	477118	19-01-2005 /

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

Rs. 25000

19 OCT 2004

मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983387

1,01,959/- रुपय	477136	19-01-2005
1,01,959/- रुपय	477137	19-01-2005
1,01,959/- रुपय	477138	19-01-2005

मयमल रम संलग्न पी0 एन0 बी0, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के है,

(21)

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

0300 983388

[illegible]/- रुपये	477119	19-01-2005
[illegible]/- रुपये	477121	19-01-2005
[illegible]/- रुपये	477134	19-01-2005
[illegible]/- रुपये	477135	19-01-2005

22

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

RUPEES 25000

RUPEES 25000

19 OCT 2004

मुख्य ...

03DD 983386

और मालियत की शेष कुल पच्चीस प्रतिशत धनराशि अंकन 24,47,016/-रुपये का भुगतान इस बैनामा निष्पादन के दिनांक से छः

गौरव मोहन निर्मला

23

03DD 983385

मात्र उपरान्त के दिनांकित निम्नांकित दस चैकों द्वारा प्राप्त किया --

धनराशि	चैक नम्बर	दिनांक
8,15,672/- रूपये	477123	19-04-2005
2,03,918/- रूपये	477124	19-04-2005

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

19 OCT 2004

कोषाधिकारी

03DD 983384

2,03,918/- रुपये	477125	19-04-2005
2,03,918/- रुपये	477126	19-04-2005
2,03,918/- रुपये	477127	19-04-2005

गौरव गौरव विमला

(25)

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

शेष कोषाधिकारी

03DD 983383

477139 19-04-2005

477140 19-04-2005

477141 19-04-2005

(26)

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000

25000

03DD 983382

1,01,959/-रूपये 477142 19-04-2005

1,01,959/-रूपये 477143 19-04-2005

समस्त चैक्स पी0 एन0 पी0, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के हैं.

(27)

INDIA NON JUDICIAL

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES 25000 रुपये

03DD 983381

विक्रय भूमि कृषि भूमि है तथा कृषि हेतु क्रय है, दो फसली है सिंचाई का साधन बराबर के खेत के नलकूप से है । इस समय विक्रय कृषि भूमि मे कोई फसल नही बोई हुई है, भूमि मौके पर

गौरव सौरभ निर्मला

(28)

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

Rs. 25000

मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983380

वाला है अन्तिम रूप मे भुगतान होने पर कब्जा प्राप्त करने के बाद क्रेता का सर्वथा अधिकार है कि वह-उक्त कृषि भूमि का विक्रय आदि करे, विक्रय करने का अनुबन्ध करे, इस बैनामे के आधार पर

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

03DD 983379

अपना नाम सरकारी, गैर सरकारी व अन्य आवश्यक कागजातो व

विभागो आदि में दर्ज करावे, कारज करें, व अन्य कोई कार्यवाही करें,

अर्थात जिस प्रकार चाहे अपने मालिकाना हकूक में लाकर लाभ

सुरेश गौरव अनिल निर्मल

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES

25000

03DD 083378

[illegible] । हम विक्रेतागण या हमारे वारिसान का विक्रय भूमि में कोई [illegible] सम्बन्ध या सरोकार बाकी नहीं रहेगा । गर्ज है कि यदि [illegible] के अनाधिकार में या किसी कानूनी नुक्स ना मालूम के

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

03DD 983377

कारण उक्त कृषि भूमि का कुल या कुछ अंश क्रेता उपरोक्त को कब्जा न दखल मालिकाना से निकल जायेगा तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह कब्जे से निकल जाने वाली कृषि भूमि की समस्त

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

03DD 983376

...लांत मय ब्याज व हर्जे खर्चे आदि के विक्रतागण व विक्रतागण के वारिसान की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करेगा । कोई आपत्ति नहीं होगी । यदि बैनामा की विधि और अंतिम

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

03DD 983375

[illegible] के भुगतान के बीच समय में यदि किसी सरकारी संस्था द्वारा भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता है तो प्रथमपक्ष विक्रेतागण इससे प्रभावित नहीं होगा तथा समस्त जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष क्रेता की होगी

(34)

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

25000 रुपये

RUPEES 25000

25000

मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983374

नकद का भुगतान क्रेता द्वारा नहीं रोका जायगा तथा मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार क्रेता का होगा । उक्त भूमि ग्राम समाज, पट्टा, भूदान अथवा वक्फ की नहीं है । विक्रेतागण अनुसूचित जाति या

गौरव नरेश निर्मला

03DD 983373

मुख्य कोषाधिकारी

अनुसूचित जन जाति में नहीं है । पूर्व में कोई अनुबन्ध पत्र पंजीकृत नहीं है । उपरोक्त सभी चैकों के भुगतान के तत्काल पश्चात द्वितीयपक्ष क्रेता भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लेगा । इससे पूर्व भूमि पर

गौरव [illegible] निर्मला

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

19 OCT 2004

मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983372

क्रेतापक्ष का ही कब्जा बना रहेगा । समस्त चेकों का भुगतान होने तक द्वितीयपक्ष द्वारा बैनामा होने पर अपने हक मे अमल दरामद नहीं करायेगा । अगर अमल दरामद कराता है तो प्रथमपक्ष विक्रेतागण का

कार्या
.. OCT 2004
मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983371

पूर्ण अधिकार होगा कि वह आपत्ति देकर अमल दरामद रुकवा दे ।

इससे द्वितीयपक्ष क्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी बल्कि सहमति समझी जायगी । चैकों के भुगतान के लिये निर्धारित अंकित तिथि को

03DD 983370

एक सप्ताह की अवधि के अन्दर प्रथमपक्ष विक्रेतागण द्वारा बैंक के नियमानुसार चेकों के भुगतान प्रस्तुत न करके भुगतान प्राप्त नहीं किया जाता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रथमपक्ष विक्रेतागण की होगी ।

(39)

1000Rs.

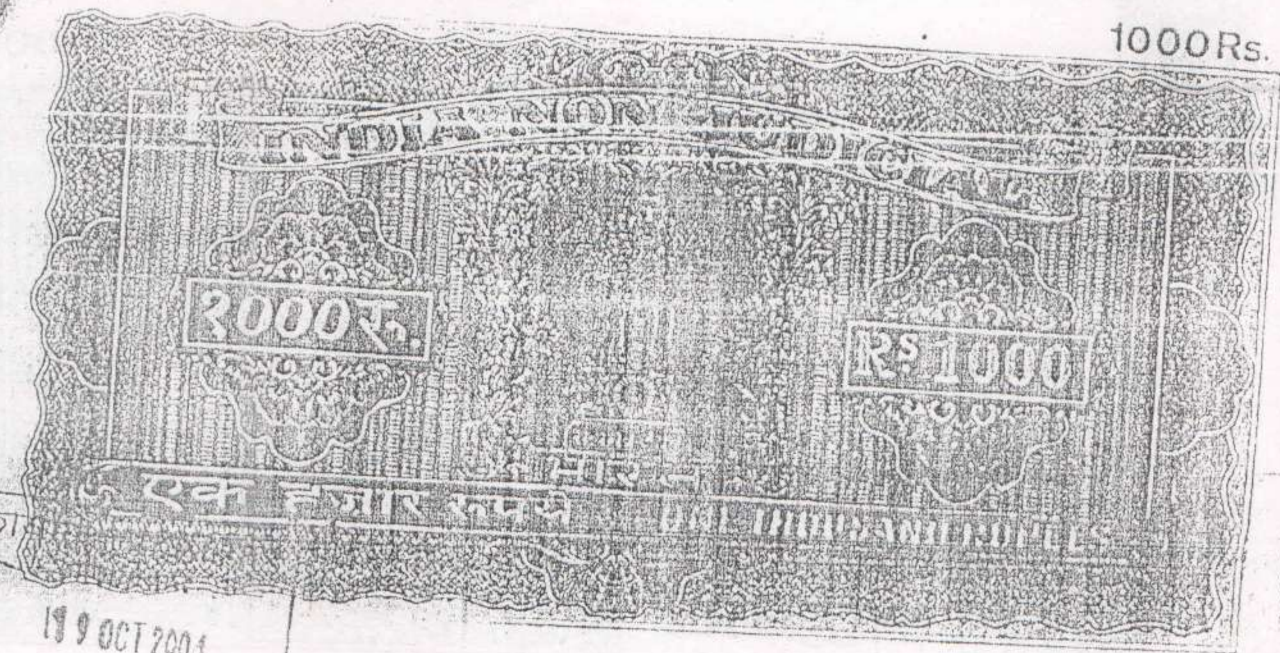

19 OCT 2004

मुख्य कोषाधिकारी

399024

इस प्रकार की स्थिति आने पर द्वितीयपक्ष क्रेता अन्तिम चैक में भुगतान के लिए निर्धारित अंकित तिथि के तत्काल बाद उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लेगा । उक्त चैकों के भुगतान के लिए निर्धारित अंकित तिथि के एक सप्ताह के अन्दर प्रथमपक्ष विक्रयपत्र

[signatures]

(40)

1000Rs.

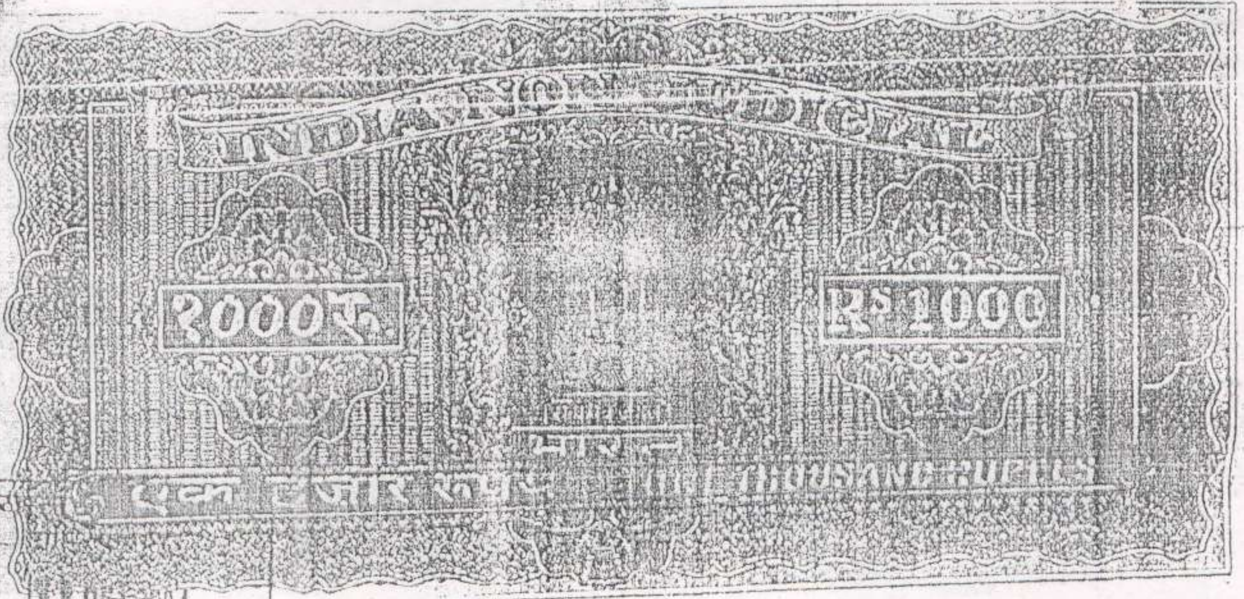

399023

OCT 2004

मुख्य कोषाधिकारी

को बैंक में बैंक के नियमानुसार चेक प्रस्तुत करने के उपरान्त भुगतान प्राप्त नहीं होता है अथवा चेक किसी भी कारणवश अनादृत हो जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रथमपक्ष विक्रेतागण द्वितीयपक्ष क्रेता का चेक

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२000रु.

Rs 1000

एक हजार रुपये

19 OCT 2004

399022

अदा करने के लिये एक सप्ताह का अवसर देगा । यदि द्वितीयपक्ष क्रेता एक सप्ताह मे भुगतान नही कराता है तो दोनो पक्षो के मध्य निष्पादित यह बैनामा रद्द माना जायेगा तथा द्वितीय पक्ष क्रेता द्वारा

(42)

500Rs.

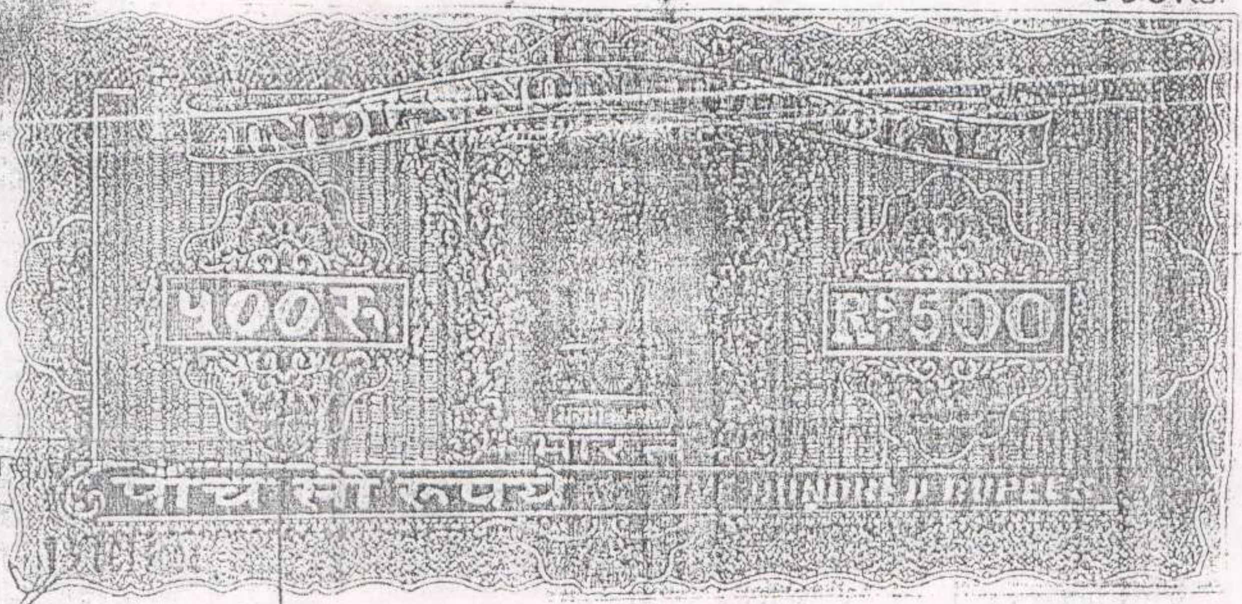

प्रथमपक्ष विक्रेतागण को बयाने के रूप में दी गई 50 प्रतिशत अथवा

प्रथमपक्ष विक्रेतागण को प्राप्त समस्त धनराशि जब्त हो जायगी ।

गौरव

100Rs.

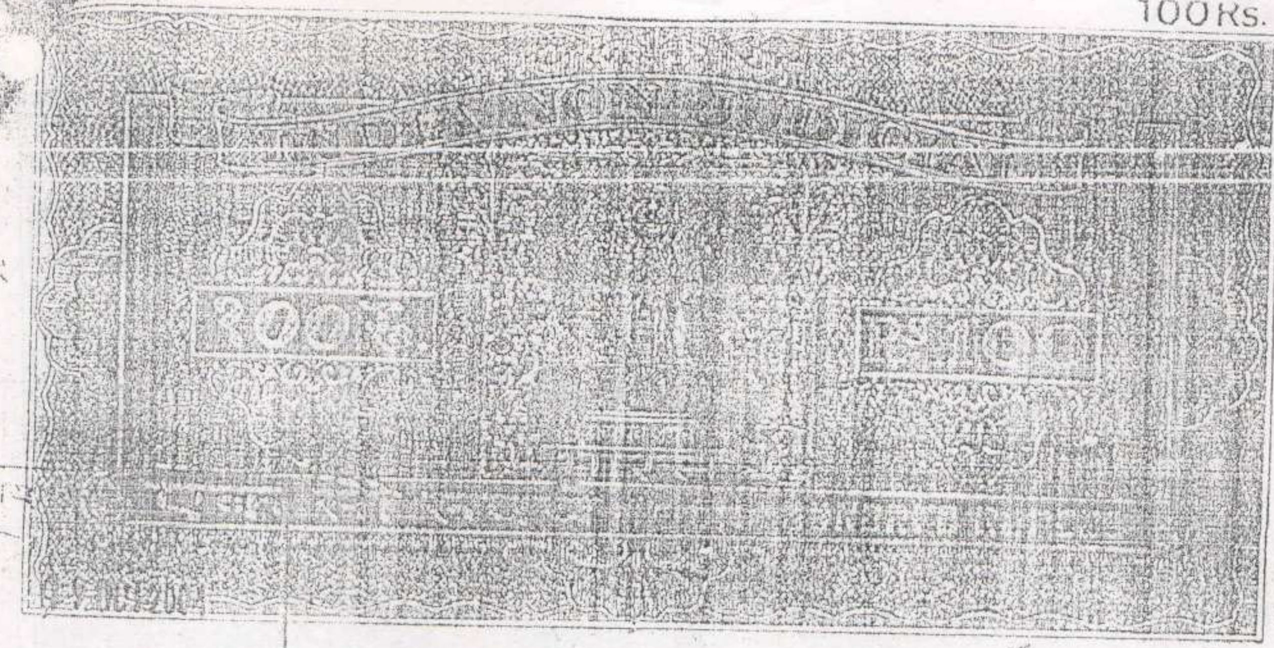

कोषाधिकारी

[illegible] यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर

गौरव ओमर तिवारी